भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.2018/टीजी-IV/18/विविध/2/पीबीसीएम **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2019 का वाणिज्यिक परिपत्र सं.46)

विषय: स्टेशन पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाने संबंधी व्यापक नीति।

भारतीय रेल द्वारा स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरे (वेस्ट) को पर्यावरण अनुकूल तरीके से कम करने, रिसाइकल करने और नष्ट करने के लिए अनेक पहल किए हैं। स्वच्छता और हरित कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि क्षेत्रीय रेलें सामरिक और महत्वपूर्ण स्थानों पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाएंगी ताकि यात्री जिम्मेदारी समझते हुए प्लास्टिक कचरे को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनों को स्व-वित्तपोषण आधार पर लगाया और रख-रखाव किया जाएगा। इनकी खरीद, सप्लाई, स्थापना, इन्हें चालू करने, परिचालन और रखरखाव के विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. बिज़नेस मॉडल:

(i) क्षेत्रीय रेलें पीबीसीएम की स्थापना, परिचालन और रखरखाव के लिए लाइसेंस आधार पर खुली निविदाएं आमंत्रित करेंगी। लाइसेंसधारी को स्व वित्तपोषण आधार पर प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें लगाने, परिचालित करने और रखरखाव करना होगा।

(ii) निविदाएं एकल पैकेट निविदा प्रणाली के ज़रिए 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए आबंटित की जाएंगी जिसे वार्षिक कार्यनिष्पादन समीक्षा के आधार पर 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। निविदा अधिकतम लाइसेंस फीस कोट करने वाले निविदाकर्ता को आबंटित की जाएगी।

(iii) क्षेत्रीय रेलें निविदा में भाग लेने के लिए अपने सह वित्त की सहमति से अर्हता मानदंड निर्धारित करेंगी।

(iv) न्यूनतम लाइसेंस फीस संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(v) लाइसेंसधारी को मशीन के अधिकतम 75 प्रतिशत स्थान पर विज्ञापन लगाने/प्रचार करने की अनुमति होगी। प्रचार अधिकारों में यथोचित प्रतिबंध होंगे जिसमें यह शर्त होगी कि विज्ञापन में शालीनता होनी चाहिए और कलात्मक होना चाहिए तथा यह घटिया या अश्लील नहीं होना चाहिए।

(vi) लाइसेंसधारी को पीबीसीएम पर विज्ञापन/प्रचार करने, प्लास्टिक कचरे की बिक्री करने और राजस्व रखने की अनुमति होगी।

2. पीबीसीएम की विशिष्टियां:

(i) प्लास्टिक बॉटल क्रशिंग मशीनें उपयोगकर्ता अनुकूल होनी चाहिए और इनका संरक्षित एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए तथा फ्रन्ट फीडिंग किस्म की होनी चाहिए।

(ii) संरक्षा की दृष्टि से इसमें मैन्युअल ऑन/ऑफ बटन होने चाहिए। पीबीसीएम के उपयोग और सुरक्षा के समुचित अनुदेश प्रिन्ट होने चाहिए। पीबीसीएम पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि पीबीसीएम में खाली बोतलें (बिना पानी/तरल वस्तु) ही डाली जाएं।

(iii) पीबीसीएम का निरंतर कार्य करने का कार्य चक्र होना चाहिए; मशीन के सुगम संचालन के लिए इसमें हैवी इ्यूटी केस्टर (छोटे पहिए) होने चाहिए; उपयुक्त पावर आपूर्ति और मोटर (एचपी) की श्रेणी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि अपेक्षित विशिष्टियों और मानकों को पूरा किया जा सके।

(iv) पीबीसीएम की दीवारों वाले क्षेत्र का अधिकतम 75% हिस्सा डिज़िटल स्क्रीनों/ एलईडी पैनलों/विज्ञापन के किसी अन्य माध्यम से ढका होगा।

3. <u>क्षेत्रीय रेलों के उत्तरदायित्व:</u>

i) मंडलों की इनपुट वाले जोन आवश्यकता आधारित मूल्यांकन, व्यावहारिकता और अर्थक्षमता के आधार पर स्टेशनों की विभिन्न कोटियों में पीबीसीएम स्थापित करेंगे।

ii) क्षेत्रीय रेलें उच्च दृष्टता और अत्यधिक उपयोग स्थलों तथा स्थानों जैसे प्लेटफॉर्म/परिचलन क्षेत्र/कॉनकोर्स एवं अन्य आवागमन वाले क्षेत्रों को चिह्नित करेंगी। क्षेत्रीय रेलें पीबीसीएम के लिए प्लेटफॉर्म/परिचलन क्षेत्र/कॉनकोर्स में स्थान आबंटित करेंगी।

iii) क्षेत्रीय रेलों के पास लोक हित अथवा परिचालनिक अनिवार्यताओं के कारण स्थान बदलने के लिए पीबीसीएम के स्थान परिवर्तन का अधिकार होगा।

iv) क्षेत्रीय रेलों द्वारा बिजली निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी।

4. <u>पीबीसीएम लाइसेंसधारी की बाध्यताएं</u>

i) मशीन की खरीद, आपूर्ति, स्थापना, चालू करना, परिचालन एवं अनुरक्षण की संपूर्ण लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी और इसके लिए अपनी जनशक्ति लगानी होगी। हार्डवेयर, केबल, संरचना एवं मशीन के क्रियान्वयन से संबंधित अन्य आकस्मिक व्ययों का वहन पूरी तरह से लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।

ii) लाईसेसधारी को जोनों के साथ करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रारूप परियोजना कार्यान्वयन योजना सहित मुख्य पहलुओं को प्रस्तुत करना होगा और जोन समुचित संशोधन करने के पश्चात् इसकी विधीक्षा करेंगे।

iii) लाइसेंसधारी करार के अनुसार समय पर लाइसेंस फीस का भुगतान करेगा।

iv) लाइसेंसधारी पूरी तरह से संरक्षा, स्थापना की सुरक्षा, फिक्सचर, फिटिंग, परिधीय एवं किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, विवाद और किए गए दावों के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी भी हानि अथवा क्षति से संबंधित सभी दावों/मांगों/कार्रवाईयों के लिए प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करेगा।

5. <u>लाइसेंसधारी के लिए पात्रता मानदंड:</u>

क्षेत्रीय रेलें, निविदाकर्ता (व्यक्ति, कंपनी, न्यास, साझेदारी अथवा संस्थाओं का संघ होने पर) अथवा उसके किसी सदस्य के अनुभव और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए पात्रता मानदंड निर्धारित करेंगी।

6. **<u>लाइसेंस फीस:</u>** क्षेत्रीय रेलें निविदा के लिए लाइसेंस फीस के आरक्षित मूल्य और वार्षिक वृद्धि का मूल्यांकन और निर्धारण करेंगी।

7. **<u>बयाना राशि (ईएमडी) और कार्य निष्पादन गारंटी (पीजी):</u>** रेलवे के हित को विधिवत सुनिश्चित करते हुए निविदा भागीदारों और लाइसेंसधारियों, जैसा भी मामला हो, से यथोचित बयाना राशि (ईएमडी) और कार्य निष्पादन गारंटी (पीजी) ली जाएगी।

8. **दंड:** क्षेत्रीय रेलें यह सुनिश्चित करेंगी कि लाइसेंसधारी निविदा दस्तावेज़ों और स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन करेंगे, ऐसा न करने पर क्षेत्रीय रेलों द्वारा यथोचित दंड लगाया जाएगा।

9. **समापन (टर्मिनेशन):** रेलें अथवा लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, के पास करार अवधि के दौरान बिना कोई कारण बताए, चाहे जो भी रहा हो, अथवा परिचालनिक कठिनाइयों, सुरक्षा संबंधी मामलों और/अथवा किसी अथवा ऐसे सभी पीबीसीएम की मरम्मत करने के मद्देनजर किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार है। बहरहाल, रेलवे अथवा लाइसेंसधारी, जो भी हो, को 3 (तीन) माह पहले लिखित नोटिस देना होगा। लाइसेंसधारी को कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाएगी और इस प्रकार समापन के परिणामस्वरूप रेलों पर कोई बाध्यता अथवा देयता नहीं होगी।

10. **अप्रत्याशित घटना:** यदि संविदा अवधि के दौरान किसी भी समय करार का निर्वहन करने वाली कोई भी पार्टी किसी युद्ध, या शत्रुता, लोक शत्रुता के कृत्य, जन विक्षोभ, तोड़-फोड़, दुर्घटनाओं, आग, बाढ़, विस्फोट, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटनाओं या ऐसी आपात घटनाओं जो पार्टी के नियंत्रण से बाहर हों, जिसे इसके बाद घटना कहा गया है, के कारण संपूर्ण या आंशिक निष्पादन का निषेध या उसमें विलम्ब करती है और यदि उस घटना की तारीख से 21 दिनों के भीतर किसी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को ऐसी किसी संभावित घटना की सूचना दी जाती है; तो कोई भी पार्टी ऐसी घटना के कारण न तो संविदा समाप्त करने की हकदार होगी और न ही कोई पार्टी दूसरी पार्टी से इस प्रकार निष्पादन नहीं करने या निष्पादन में विलम्ब करने के कारण किसी क्षति का दावा करेगी और ऐसी घटनाएं या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाने के बाद जैसे ही व्यावहारिक हो, संविदा के तहत सुपुर्दगी शुरू कर दी जाएगी।

11. **मध्यस्थता खंड:** संविदा के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद और मतभेद को, चाहे वे कार्य चालू रहने के दौरान हों या संविदा समाप्त होने के बाद, लाइसेंसधारी द्वारा संबंधित महाप्रबंधक को भेजा जाएगा जो लाइसेंसधारी का अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद 120 दिन के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा लिखित में भेजे गए सभी मामलों पर निर्णय देंगे और सूचित करेंगे। उन मामलों को 'अपवादित मामले' (मध्यस्थता नहीं करने योग्य मामले) माना जाएगा और उस पर रेल प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारी को बाध्यकारी होगा; बशर्ते कि 'अपवादित मामले' मध्यस्थता खंड के दायरे से विशिष्ट रूप से निष्कासित माने जाएंगे।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(सुमित सिंह)
संयुक्त निदेशक यातायात वाणिज्य (सामान्य)
रेलवे बोर्ड

सं.2018/टीजी-IV/18/विविध/2/पीबीसीएम **नई दिल्ली, दिनांक: 27.09.2019**

प्रतिलिपि:

एफए एंड सीएओ, सभी क्षेत्रीय रेलें
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक, सभी क्षेत्रीय रेलें

27.9.19
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड

TG IV PBCM Satyin

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BORAD)

No.2018/TG-IV/18/Misc./2/PBCM New Delhi, dt: 27.09.2019

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(Commercial Circular No. 46 of 2019)

Sub: Comprehensive policy on installation of Plastic Bottle Crushing Machines at station.

Indian Railways have taken various initiatives to reduce, recycle and dispose plastic waste generated in stations in an eco-friendly manner. Furthering the cleanliness and the green agenda, it has been decided that Zonal Railways shall install Plastic Bottle Crushing Machines (PBCM) at strategic and prominent locations in order to motivate passengers to dispose plastic waste in a responsible manner. The PCBMS shall be installed and maintained on self-financing basis. The detailed modalities governing the procurement, supply, installation, commissioning, operation & maintenance are as under:

1. Business Model :

i) Zonal Railways shall call open tenders for installation, operation and maintenance of PCBM on licence-fee basis. The licensee has to install, operate and maintain Plastic Bottle Crushing Machines (PBCMs) on self-financing basis.
ii) The tenders will be awarded through 'Single packet' tender system for a period of 5 (five) years extendable upto 3 years based on yearly performance review. The tender may be allotted to the tenderer who quotes the highest license fee.
iii) Zonal Railways in concurrence with associate finance shall decide the eligibility criteria for participating in the tender.
iv) The minimum License fee to be decided by respective Zonal Railways.
v) The licensee shall be allowed to display advertisement/publicity with maximum of 75% area on the body of Machine. Suitable restrictions on Publicity rights may be incorporated including the clause that Advertisements displayed should be decent and take care of aesthetics and does not give a cheap or vulgar appearance.
vi) The licensee may be allowed to display advertisement/publicity on PBCM and sell plastic waste and retain the revenue.

2. Specifications of PBCM:

i) Plastic Bottle Crushing Machine (PBCM hereafter) should be user friendly and must ensure safe & secure operations and should be of front feeding type.
ii) It should have manual on/off button for safety. Proper instructions for use and safety to be provided on the PBCM in print format. Instructions on empty bottles (without water/liquid) to be put inside PBCM must be stated clearly on PBCM.

iii) The PBCM should have a working Cycle of continuous Duty; machine will be on heavy duty castors wheels for easy mobility. Suitable power supply and rating of Motor (HP) to be ensured so as to meet required specification and standards

iv) Maximum 75% of wall area of PBCM shall be covered with Digital Screens/LED panels/any other medium for Advertisement.

3. Responsibilities of Zonal Railways:

i) Zones with the inputs of Divisions may install the PBCMs in various categories of stations depending on need based assessment, feasibility and viability.

ii) Zonal Railways shall identify high visibility and high-usage spots and locations like Platforms/circulating area/concourse and other areas with dense footfalls. Zonal Railways shall allot a suitable location for PBCM at platforms/circulating area/concourse.

iii) The Zonal Railways reserves the right to change the location of PBCMs to alternate locations in public interest or due to operational exigencies.

iv) Electricity to be provided by Zonal Railways free of cost.

4.PBCM Licensee's Obligations:

i) The entire cost of procurement, supply, installation, commissioning, operation & maintenance shall be done by licensee by engaging his own manpower. The maintenance of the hardware, cabling, fabrication & other incidental expenses related to implementation of the machine shall be solely borne by the licensee.

ii) The licensee shall submit a draft project implementation plan with key milestones within 30 days from date of signing of agreement to zones and zones may after suitable modifications vet the same.

iii) The Licensee shall timely pay the License fee as per agreement.

iv) The licensee shall be solely responsible for safety, security of installations, fixtures, fittings, peripherals and for any loss, damage, disputes, and claims caused and shall indemnify the Authority against all claims/demands/actions in respect of any loss or damage caused.

5. Eligibility Criteria for Licensee:

Zonal Railways may decide the eligibility criteria keeping in mind that the tenderer (being an individual, a company, a trust, partnership or a consortium of entities) or any of its member should have experience and credibility.

6. License Fee: Zonal Railways shall assess and fix reserve price and yearly escalation of of License fee for tender.

7.Earnest Money Deposit (EMD) and Performance Guarantee (PG): Proportionate Earnest Money Deposit (EMD) and Performance guarantee (PG) may be taken from the tender participants and the licensee as the case may be duly ensuring Railways interest.

contd/-

8. Penalty: Zonal Railway shall ensure that the Licensee shall abide by all the conditions specified in the tender document and Letter of Acceptance, failing which suitable penalty may be imposed by zonal Railways.

9. Termination: Railways or licensee as the case may be reserve the right to terminate at any time during the Agreement Period without assigning any reason whatsoever or in view of any operational difficulties, security issues and/or revamp of any or all such PBCMs. The Railway or licensee, however shall have to give a 3 (three) months prior written notice. No compensation shall be given to the licensee and there shall be no obligation or liability on the part of Railways consequent to such termination.

10. Force Majeure: If at any time, during the contractual period, the performance in whole or in part by either party of the obligation under the agreement is prevented or delayed by reason of any war, or hostility, acts of the public enemy, civil commotion, sabotage, accidents, fires, floods, explosions, quarantine restrictions, strikes, lockouts or acts of God or such eventualities which are beyond the control of the party, herein after referred as events and provided notice of happening of any such eventuality is given by either party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof neither party shall by reason of such event, be entitled to terminate the Contract, nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non performance or delay in performance and deliveries under the Contract shall be resumed as soon as practicable after such events as they come to an end or ceased to exist.

11. Arbitration Clause: All disputes and differences of any kind whatsoever arising out of in connection with the contract, whether during the progress of the work or after its completion and whether before or after the determination of the contract, shall be referred by the licensee to the respective General Manager (GM) who shall within 120 days after receipt of the licensee's representation, make and notify decision on all matters referred by the licensee in writing. The matters shall be deemed as 'excepted matters' (matters not arbitrable) and decisions of the Railway authority, thereon shall be final and binding on the licensee; provided further that 'excepted matters' shall stand specifically excluded from the purview of the Arbitration Clause.

This issues in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways.

Sumeet Singh 23/9/19

(Sumeet Singh)
Jt. Director, Traffic Commercial (G)
Railway Board

No.2018/TG-IV/18/Misc./2/PBCM

New Delhi, dt: .09.2019

Copy to:
The FA&CAOs, All Zonal Railways.
Principal Directors of Audit, All Zonal Railways.

27.9.19

For Financial Commissioner/Railways
Railway Board